न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

(2)

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, हिण्डौनसिटी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — प्रार्थी

बनाम

श्री उपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा, निवासी मण्डावरा रोड, हिण्डौन सिटी — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

निर्णय

दिनांक-31.03.2021

यह प्रार्थना पत्र प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौनसिटी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा राजस्थान खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 03.03.2020 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश की अनुपालना में डी.एस.टी. टीम (जिला स्पेशल टीम) करौली के प्रभारी श्री बहादुरसिंह एस.आई. द्वारा अवैध एल.पी.जी. रिफिलिंग की कार्यवाही की सूचना प्राप्त होने पर जांच दल जिसमें जगदीश प्रसाद शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौनसिटी, हरविन्द्र शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक नादौती, अमित कुमार प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा, पवन कुमार प्रवर्तन निरीक्षक करौली शामिल है, मौके पर मण्डावरा रोड हिण्डौन सिटी स्थित श्री राजेन्द्र शर्मा के मकान पर पहुंचे। जांच एवं निरीक्षण में पाया कि (1) मौके पर उपस्थित डीएसटी दल के प्रभारी श्री यदुवीरसिंह ने बताया कि श्री उपेन्द्र शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा उनके द्वारा भेजे गये बोगस ग्राहक की गाडी (टाटा मैजिक) में घरेलू गैस सिलिण्डरों से अवैध रूप से एल.पी.जी. गैस रिफिल करते हुए पाया गया है। (2) मौके पर जांच दल द्वारा तलाशी लेने पर कुल आठ सिलेण्डर (आई.ओ.सी.एल. कम्पनी के) एवं एक रिफिलिंग मशीन के संबंध में मौके पर उपस्थित श्री उपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा से दस्तावेज, डायरियां आदि मांगे जाने पर श्री उपेन्द्र शर्मा ने कोई भी दस्तावेज, डायरी आदि प्रस्तुत नहीं किया तथा ना ही रिफिलिंग मशीन के बारे में कोई संतोषजनक उत्तर दिया। (3) उक्त प्रकरण अवैध गैस रिफिलिंग का पाया जाने तथा श्री उपेन्द्र शर्मा द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने के कारण मौके पर पाये गये आठ घरेलू सिलिण्डरों तथा एक रिफिलिंग मशीन को जब्त किया गया जिसका जब्ती नामा एवं सुपुर्दगीनामा मौके पर पृथक से तैयार किया गया। (4) मौके से जब्त आठ घरेलू सिलिण्डरों, एक रिफिलिंग मशीन को बजह सबूत एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित संभलाने के लिए श्री रविकुमार गुप्ता पुत्र श्री अशोक कुमार गुप्ता हाल प्रबंधक प्रियंका गैस सर्विस हिण्डौनसिटी की सुपुर्दगी में दिया गया। जब्त की गई सामग्री का विवरण निम्नानुसार है--

1. एल.पी.जी. सिलेण्डर--

क्र.सं.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर एस. आर. नंबर	टेयर वेट (किलोग्राम)	ग्रॉस वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलोग्राम)
1	आई.ओ.सी.एल.	048131	16.0	30.0	14.0
2	आई.ओ.सी.एल.	639809	15.8	30.0	14.2
3	आई.ओ.सी.एल.	798716	16.3	30.0	13.7
4	आई.ओ.सी.एल.	424586	15.7	29.0	13.3
5	आई.ओ.सी.एल.	851492	15.9	30.0	14.1
6	आई.ओ.सी.एल.	489117	15.9	30.0	14.1

जिला कलक्टर
करौली

7	आई.ओ.सी.एल.	564104	15.9	30.0	14.1
8	आई.ओ.सी.एल.	572164	15.9	30.0	14.01

2. रिफिलिंग मशीन नग 1

इस प्रकार श्री उपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा निवासी मण्डावरा रोड हिण्डौनसिटी जिला करौली द्वार द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1), 4(क), 5 एवं 7(2) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अंत में जब्तशुदा 8 घरेलू गैस सिलिण्डर एवं एक रिफिलिंग मशीन को राजसात् किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

अप्रार्थी बावजूद सूचना एवं बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थिन नहीं आये एवं ना ही कोई जवाब पेश किया।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस प्रार्थी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। डी.एस.टी. (जिला स्पेशल टीम) द्वारा अप्रार्थी को घरेलू सिलेण्डर से द्रवित पैट्रोलियम गैस को वाहन टाटा मैजिक में रिफिलिंग करते हुए पाया गया है जिस पर जिला रसद अधिकारी करौली के जांच दल द्वारा अप्रार्थी की जांच की गई है। वक्त जांच अप्रार्थी के घर से 8 घरेलू गैस सिलिण्डर एवं एक रिफिलिंग मशीन जब्त की गई है। 8 घरेलू गैस सिलिण्डरों के संबंध में अप्रार्थी द्वारा ना तो जांच दल को उनकी डायरियां एवं दस्तावेज पेश किये गये हैं और ना ही इस न्यायालय में पेश किये गये हैं। इससे जब्तशुदा घरेलू 8 गैस सिलिण्डर एवं एक रिफिलिंग मशीन का अवैध होना विदित होता है जिन्हें राजसात् किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं जब्तशुदा 8 घरेलू गैस सिलिण्डर मय गैस एवं एक रिफिलिंग मशीन को राजसात् किया जाता है। जिला रसद अधिकारी करौली को आदेश दिये जाते हैं कि वे जब्तशुदा घरेलू गैस सिलिण्डरों को उनकी कम्पनी को संभलावें एवं उनकी गैस तथा रिफिलिंग मशीन को बाजार दर से नीलाम करके प्राप्त राशि को जमा राजकोष करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03..2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर,
करौली